# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व विविध वाद संख्या 57/2017

अमीलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी 7 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

**–:: बनाम ::–**

बनवारी पुत्र सोहन लाल जाति जाट निवासी 7 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.ए. सपठित धारा 151 सी पी सी**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

1. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री मनोहरलाल सहारा अधिवक्ता – – अप्रार्थी

**–:: निर्णय ::–** दिनांक :– 30-11-2017

अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.ए. सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में श्रीमान् अदालत के द्वारा दिनांक 17.01.2017 को निर्णय कर, निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु फैसल किया गया। उपरोक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 7 एफ बडा के मु.नं.43 के किला नम्बर 1 ता 3 में चाहे गये रास्ता की एवज में इसी मुरब्बा के किला नम्बर 4, 7, 14 में एक–एक बिस्वा रास्ता की लिखित अनुसार रजामंदी दी गई थी। इसी अनुसार रास्ता मौका पर चल रहा है व इसी अनुसार अप्रार्थी आवेदक किला नम्बर 4, 7, 14 के एक–एक बिस्वा काबिज है। इस भौतिक तथ्य की अनदेखी कर विषयान्तर्गत आदेश पारित कर माननीय न्यायालय ने भारी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है।

श्रीमान् अदालत द्वारा मुझ आवेदक अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हुआ जिस पर आवेदक अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हुआ जिस पर आवेदक अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी अमीलाल से घरू बंटवारा की लिखित अनुसार रास्ता की भूमि के बदले भूमि का कथन करने पर प्रार्थी द्वारा भूमि के बदले भूमि देने का आश्वासन देने पर आवेदक अप्रार्थी तारीख पेशी का बावजूद सूचना के हाजिर अदालत नहीं आये।

दिनांक 15.02.2017 को आवेदक अप्रार्थी को पटवारी हल्का द्वारा यह बताया गया कि आपके हिस्सा के रकबा मु.नं.42 के किला नम्बर 1 ता 3 के 3 बिस्वा के रकबा के बदले खजाना राज में रूपये जमा करवाने के आदेश है इस कारण आप अपने खाता पर लिया गया ऋण चुकता कर रकबा रहन मुक्त करें ताकि इस रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जा सके तथा इस रास्ता की एवज में जो रूपये प्रार्थी के द्वारा जमा करवाये गये हैं वह आप निकलवा ले तब आवेदक अप्रार्थी प्रार्थी अमीलाल से मिला तो उसने बताया कि मैंने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तो रास्ता की एवज में रकबा देने का निवेदन किया था लेकिन अदालत ने रास्ता के बदले रकबा नहीं देंकर डी एल सी की दोगुनी राशि के अनुसार राशि जमा करवाने का आदेश कर दिया। जबकि मेरे द्वारा आपके पिता के साथ किये गये घरू बंटवारा की लिखित प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हुई थी।

पटवारी हल्का द्वारा मुझ प्रार्थी को दिनांक 15.02.2017 को पटवारी हल्का ने मुझे बताया कि आपके रकबा में से रास्ता मंजूर हो गया है और इसके बादले में आपको डी एल सी की दुगुनी राशि अदा किये जाने के आदेश हो गये हैं इसलिए आप तहसील में जाकर अपनी राशि प्राप्त कर ले और इस रकबा की बाबत इन्द्राज करने में मेरा सहयोग करें। तब प्रार्थी ने दिनांक 16.02.2017 को बताया तो उन्होंने नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 22.02.2017 को नकल प्राप्त हुई। निर्णय देखने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि किस तरह श्रीमान् अदालत के द्वारा घरू बंटवारा की अनदेखी कर डी एल सी के रेट से डबल राशि जारी की गई है। इस बाबत प्रार्थी ने श्रीअमीलाल श्रीगंगानगर आकर अपने अधिवक्ता श्री मनोहरलाल सहारण से सम्पर्क कर पंचायत की तो पंचायत में अमीलाल ने पहले कहा कि मैं यह फैसला सही करवा दूंगा लेकिन दिनांक 26.03.2017 को इन्कार हो गया कि मैं तो पूर्व के फैसला को दुरूस्त नहीं करवाता तुम्हे जो करना है सो करो।

आवेदक अप्रार्थी इस रास्ता के रकबा के बदले रकबा नहीं देकर डी एल सी की डबल राशि का भुगतान करने का आदेश किया है उससे आवेदक अप्रार्थी व्यथित है और निम्न आधारों पर पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हैः–

क– उक्त निर्णय में पुर्नविलोकन के लिए निम्न आधार विचारणीय है।

ख– आवेदक द्वारा उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही अन्य किसी अदालत में इस रास्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

ग– प्रार्थी द्वारा जब स्वयं रास्ता के बदले उसे माप की कृषि भूमि की लिखित प्रस्तुत की हुई है तथा इस लिखित द्वारा आवेदक प्रार्थी अमीलाल के 3 बिस्वा रकबा पर काबिज है तो बिना इस लिखित एवं आपसी रजामंदी की अनदेखी कर गौण कर डी एल सी की डबल राशि जारी करने में श्रीमान् अदालत में कानूनी भूल की है इस कारण पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। एक को अनुचित लाभ व दूसरे को हानि पहुंचाने के रूप में पारित आदेश असंवेधानिक व विधिक एवं न्याय सिद्धान्त एवं Eqquity के विपरीत होने के कारण निरस्त कर दुरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा रास्ता के प्रकरण में तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में भी रास्ता चालू होने का विवरण दिया गया है व इस रास्ता के बदले उसके द्वारा भूमि देने का भी कथन किया है इस तथ्य को नजरअंदाज कर श्रीमान् अदालत ने कानूनी गलती की है इसलिए पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आवेदक को प्रार्थी द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण आवेदक हाजर अदालत नहीं आया इस कारण आवेदक के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई, चूंकि पूर्व में यह रकबा आवेदक के पिता सोहनलाल के नाम से था तथा वर्तमान में यह रकबा आवेदक व आवेदक के भाईयों के नाम विरास्तन चला आ रहा है। पारिवारिक समझौता अनुसार मु.नं. 43 के किला नम्बर 1, 2, 3 आवेदक के हिस्सा में आया है तथा आवेदक छोटा काश्तकार है, इस कारण आवेदक के रास्ता में दिये गये रकबा के बदले रकबा देने में प्रार्थी की सहमति को दरकिनार करते हुए श्रीमान् अदालत द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह निरस्त करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी ने पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त मामला में सही और न्यायोचित निर्णय के लिए उक्त निर्णय दिनांक 17.01.2017 को निरस्त किया जावे और मामले की पुनः सुनवाई कर रास्ता के बादले भूमि का निर्णय पारित किया जावे अन्य कोई अनुतोष हो तो मुझ आवेदक को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदक/प्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.05.2017 को अनावेदक/प्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से जवाब नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं –

प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्यों और दस्तावेजात के साथ श्रीमान् न्यायालय में चक 7 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 3 में रास्ता की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 के प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विवेचन किया जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था जिसमें प्रार्थी की मांग के अनुरूप चक 7 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 3 पत्थर लाइन पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देते हुए उन पर विधिवत् तामील होने के पश्चात् भी श्रीमान् न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई उसके विरूद्ध भी प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार श्रीमान् न्यायालय द्वारा विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाकर जो निर्णय दिया गया उसमें किसी भी प्रकार की कोई तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की गई है। इसलिए श्रीमान् न्यायालय के समक्ष जो नजरसानी दिनांक 17.01.2017 के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है वह भारी हर्जाने सहित खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण द्वारा विधिवत तामील के पश्चात् श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई। श्रीमान् न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा/इकरारनामा किया गया है तो पक्षकारान का श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर उस पर सहमति प्रकट किया जाना जावश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत या वकालतन उपस्थित होकर अपनी सहमति श्रीमान् न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की है इस प्रकार श्रीमान् न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह बिल्कुल सही है उसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्त निर्णय के पश्चात् रास्ता का इंतकाल भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। नजरसानी के लिए निर्णय में प्रत्यक्ष त्रुटि होना आवश्यक है। **(आर.आर. डी.1962 पेज 87 आर.आर.डी. 1965 पेज 331, आर.आर.हडी.1971 पेज 235)**। किसी बात पर दुबारा विचार करने पर शंक्तियां न्यायालय को नहीं है, किसी बिन्दू पर विचार कर लिया गया है तो दुबारा विचार करने की प्रार्थना नहीं की जा सकती। **(आर.आर.डी.1990 पेज 283)**।

श्रीमान् न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय पारित किया गया है। प्रतिवादीगण अपनी गलतियों या कमियों का फायदा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नहीं उठा सकते चूंकि प्रतिवादीगण पर विधिवत् रूप से तामील हो चुकी थी जिस पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष गैरहाजिर रहने के कारण श्रीमान् न्यायालय द्वारा उचित एवं विधिक कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई पंचायत प्रार्थी के साथ नहीं की गई और ना ही दिनांक 26.03.2017 को प्रतिवादीगण प्रार्थी से मिले, समस्त तथ्य गलत दर्ज करवाये गये हैं।

प्रतिवादीगण अपनी गलती की जिम्मेवारी अन्य पक्षकारान के कन्धे पर नहीं डाल सकता। प्रतिवादगण तामील होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आते है तो जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

विधि सम्यक कार्यवाही न्यायालय करता है वही प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई है इस प्रकार आवेदक किसी प्रकार से व्यथित व्यक्ति नहीं है और नजरसानी प्रस्तुत करने का वह अधिकारी नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 ता 7 पर तामील हुई थी लेकिन नजरसानी केवल मात्र एक पक्षकार बनवारी लाल द्वारा प्रस्तुत की गई है अन्य पक्षकारान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

नजरसानी केवल प्रत्यक्ष त्रुत्रि के आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है। श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2017 को जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नजर नहीं आती है।

प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेजात अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये थे उनका विस्तृत रूप से विवेचन किया जाकर श्रीमान् न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रूप से निर्णय पारित किया गया था और उस निर्णय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत समस्त नियमों की पालना की गई है। इस प्रकार से उक्त आदेश असंवेधानिक या विधि विरूद्ध नहीं होने के कारण नजरसानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती और ना ही उक्त निर्णय निरस्त किया जा सकता है। श्रीमान् न्यायालय द्वारा किसी भी तथ्य या दस्तावेज की अनदेखी नहीं की गई है। इसलिए नजरसानी खारिज किये जाने योग्य है।

श्रीमान् न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह पत्रावली पर समस्त तथ्य एवं दस्तावेजात का विस्तृत रूप से विवेचन किया जाकर श्रीमान् न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रूप से निर्णय पारित किया गया था इसलिए नजरसानी खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि नजरसानी के लिए निर्णय में प्रत्यक्ष त्रुटि होना आवश्यक है।

## —:: आदेश ::—

आवेदक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसका अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि जिन आधारों पर Review Application लाई गई है उन पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही विचारण किया जा चुका है तथा निर्णय दिनांक 17.01.2017 में इन तथ्यों का उल्लेख है। अतः पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य या दुरस्ती योग्य नहीं है। आवेदक/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 30.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**श्रीगंगानगर**